

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना



दूरभाष : 2217840(कार्यालय)

फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्यकांसू०-01/2021- 77

वि०स० । दिनांक - 18.01.2021

② प्रिय

सप्तदश बिहार विधान सभा का प्रथम सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से प्रारम्भ हुआ । कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी "COVID-19" के कारण विधान सभा का यह सत्र भौतिक दूरी एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये बिहार विधान सभा स्थित सभा-वेश्म में न होकर बिहार विधान मंडल विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में सम्पन्न हुआ । निर्धारित कार्यक्रमानुसार पाँच दिवसीय यह सत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया ।

शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान

सप्तदश बिहार विधान सभा के लिए महामहिम राज्यपाल द्वारा श्री जीतन राम मांझी, वरीय सदस्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद-180 के खण्ड-(1) के अधीन अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया । दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को श्री जीतन राम मांझी, अस्थायी अध्यक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष राजभवन में शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान किया गया । उन्हें महामहिम राज्यपाल ने ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जिनके समक्ष बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यगण शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगे ।

सप्तदश बिहार विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित 243 सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान कर लिया गया है ।

अध्यक्ष का निर्वाचन

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नियत किया गया था । श्री विजय कुमार सिन्हा, सदस्य, भारतीय जनता पार्टी को सर्वसम्मति से सप्तदश बिहार विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री; माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद; माननीय उप मुख्यमंत्री, श्रीमती रेणु देवी; माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी; माननीय मंत्री, श्री मुकेश सहनी; माननीय सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव; श्री अजीत शर्मा; श्री महबूब आलम; श्री जीतन राम मांझी; श्री अखतरूल ईमान; श्री राज कुमार सिंह; श्री राम रतन सिंह तथा सभी दलों के नेतागण एवं सम्पूर्ण सदन के प्रति धन्यवाद देते हुए यह कहा गया कि इस पावन पीठ तक मुझे पहुँचाने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ ।

राज्यपाल का अभिभाषण

सप्तदश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के राज्यपाल, श्री फगू चौहान द्वारा बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को सम्बोधित किया गया । श्री श्रवण कुमार, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री रणा रणधीर, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया ।

अध्यादेश

संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) के अनुसार महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखा गया:-

- (1) बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020
- (2) बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश, 2020

अनुमत विधेयक

दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक

1. औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020
2. कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020
3. ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

1. बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020
2. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020
3. बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020
4. बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020
5. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020
6. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2020
7. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन)(संशोधन) अधिनियम, 2020
8. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020
9. बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020
10. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतुप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय रवीन्द्र, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय रामदेव राय, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार
3. स्वर्गीय प्रणव मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व मंत्री, केन्द्र सरकार
4. स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व लोक सभा सदस्य
5. स्वर्गीय आनन्दी प्रसाद यादव, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय रामजी ऋषिदेव, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय मो० इसराईल राईन, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय धर्मेन्द्र यादव, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय हुसैन अंसारी, पूर्व स०वि०स०
10. स्वर्गीय राम विलास पासवान, सांसद एवं मंत्री, केन्द्र सरकार
11. स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार
12. स्वर्गीय कपिलदेव कामत, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार
13. स्वर्गीय सतीश प्रसाद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री

14. स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, पूर्व स०वि०स०
15. स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह, पूर्व स०वि०स०
16. स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव, पूर्व स०वि०स०


दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। जिसके उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 31.12.2020 को बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया।

सधन्यवाद

सेवा में,

.....
.....
.....

आपका विश्वासी


(राज कुमार सिंह)

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।